



Neutral Citation No. 2026:AHC-LKO:41589

इलाहाबाद उच्च न्यायालय**लखनऊ****दांडिक प्रकी. अग्रिम जमानत आवेदन अं./धा. 438, दं.प्र.सं.****सं. - 424 वर्ष 2026**

वैभव उपाध्याय

.... आवेदक (गण)

बनाम

उ. प्र. राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह विभाग, लखनऊ
एवं एक अन्य

..... विरोधी पक्षकार (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता	: पवन कुमार पांडेय, प्रिया सिंह
विरोधी पक्षकार (गण) के अधिवक्ता	: शा.अधि., इस्लाम खान, साबिर अली

न्यायालय सं. - 11**माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी**

1. आवेदक के विद्वान् अधिवक्ता श्री पवन कुमार पांडेय, विद्वान् राज्य अधिवक्ता श्री राजेश कुमार पाठक और परिवादिनी के विद्वान् अधिवक्ता श्री मोह. इस्लाम खान को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।

2. प्रस्तुत आवेदन, आवेदक द्वारा, प्र.सू.रि., मुकदमा अपराध सं. 55/2023, धारा 498-क, 323, 342, 406, 504, 506, भा.दं.सं. और धारा 3/4, द. प्र. अधिनियम, पुलिस थाना, महिला थाना, जिला अंबेडकर नगर में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए दाखिल किया गया है।

3. उपर्युक्त मामला 15.05.2023 को दर्ज प्र.सू.रि. के आधार पर, आवेदक और उसके परिवार के सदस्यों सहित 9 व्यक्तियों के विरुद्ध, यह अभिकथन करते हुए रजिस्टर किया गया है

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

कि परिवारिणी का विवाह आवेदक के साथ 28.11.2021 को हुआ था। सभी अभियुक्त व्यक्ति उसे दहेज की मांग के लिए परेशान करते थे। अभियुक्त व्यक्तियों ने परिवारिणी को उसकी इच्छा के बिना कोचिंग क्लास में सम्मिलित होने के लिए इलाहाबाद भेज दिया था। जब परिवारिणी ने विरोध किया था और कहा था कि वह अपनी ससुराल में रहकर अच्छी तैयारी कर सकती है, तो अभियुक्त व्यक्तियों ने उससे कहा था कि वह कोचिंग फीस की राशि अपने परिवार के सदस्यों से मांगे। प्र.सू.रि. में अभिकथन किया गया है कि 14.05.2023 को एक मैरिज हॉल में विवाद सुलझाने के लिए पक्षकारों के बीच बातचीत हुई थी, जिसके दौरान अभियुक्त व्यक्तियों ने परिवारिणी पक्ष के लोगों के साथ गाली-गलौज की थी, और धमकी दी थी और बैठक छोड़कर चले गए थे और उन्होंने उसका 'स्त्रीधन' छीन लिया था।

4. अग्रिम जमानत आवेदन के समर्थन में दाखिल शपथपत्र में यह तर्क दिया गया है कि आवेदक निर्दोष है, उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है और परिवारिणी के भाई द्वारा दर्ज कराई गई प्र.सू.रि., मुकदमा अपराध सं. 0134/2023, अंतर्गत धारा 147, 148, 498-क, 307, 504, 323, 324, 325, 354-ख एवं 506, भा.दं.सं. पुलिस थाना जलालपुर, जिला अंबेडकर नगर के सिवाय, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

5. अभियुक्त व्यक्तियों ने आवेदन अंतर्गत धारा 482, दं.प्र.सं.सं. 11972 वर्ष 2023 दाखिल किया था जिसमें मामला एक आदेश दिनांक 08.12.2023 द्वारा इस न्यायालय के मध्यस्थता और सुलह केंद्र को निर्दिष्ट किया गया था और कार्यवाहियों पर रोक लगा दी

गई थी। मध्यस्थता विफल होने के बाद, इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने एक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

आदेश दिनांक 29.04.2026 पारित किया था, जिसके द्वारा आवेदक को छोड़कर अन्य सभी अभियुक्तों को अंतरिम अनुतोष प्रदत्त किया गया है। आवेदक के संबंध में आवेदन खारिज कर दिया गया था और उसे जमानत आवेदन दाखिल करने की छूट दी गई थी।

6. परिवादिनी के विद्वान् अधिवक्ता ने एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई है कि यद्यपि आवेदक को जमानत पर छोड़े जाने के लिए आवेदन दाखिल करने की छूट दी गई थी, किन्तु उसने अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दाखिल किया है, इसलिए यह खारिज की जाने योग्य है।

7. जब न्यायालय ने आवेदक को जमानत आवेदन दाखिल करने की छूट दी, तो इसका यह अर्थ नहीं है कि गिरफ्तारी-पूर्व जमानत आवेदन दाखिल करने का उसका विधिक अधिकार छीन लिया गया था। इसलिए, जमानत आवेदन दाखिल करने की केवल छूट मिलने से याचिका के गिरफ्तारी-पूर्व जमानत आवेदन दाखिल करने के अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

8. विद्वान् राज्य अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का विरोध किया है और उन्होंने निवेदित किया है कि अन्वेषण के दौरान आरोप स्थापित हो गए हैं और 05.10.2023 को आरोप-पत्र दाखिल किया गया है।

9. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने और प्र.सू.रि. में अधिरोपित आरोपों की प्रकृति की दृष्टि से, जो प्रथमदृष्ट्या इंगित करते हैं कि प्र.सू.रि. पक्षकारों के बीच वैवाहिक झगड़ों के कारण दर्ज की गई थी; कि प्र.सू.रि. में सभी अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध एक जैसे आरोप लगाए गए हैं, और इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने धारा 482, दं.प्र.सं. के

अधीन दाखिल याचिका में सभी अभियुक्त व्यक्तियों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है, और

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



ऐसा कोई संप्रेक्षण, जो मामले के परिणाम पर प्रभाव डालता है, किए बिना, मेरा विचार है कि उपर्युक्त तथ्य आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान करने के लिए पर्याप्त हैं।

10. उपर्युक्त की दृष्टि से, आवेदक की अग्रिम जमानत आवेदन अनुज्ञात किया जाता है।

गिरफ्तार/ आवेदक-वैभव उपाध्याय की उपर्युक्त मुकदमा अपराध में विद्वान् विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने पर, उसके, व्यक्तिगत बंधपत्र और थानाध्यक्ष/संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि का दो शोधनक्षम प्रतिभू देने पर, निम्नलिखित शर्तों और किसी अन्य शर्त के अध्यधीन, जो विचारण न्यायालय द्वारा नियत की जाए, जमानत पर छोड़ दिया जाएगा:

- (i) कि आवेदक जैसे और जब अपेक्षित होगा पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध करेगा;
- (ii) कि आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्य बताने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके;
- (iii) कि आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर नहीं जाएगा;
- (iv) कि आवेदक नियत प्रत्येक दिनांक पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा जब तक व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति से छूट न दी गई हो; और
- (v) कि आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/धमकी नहीं देगा।

(न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी)

जून 19, 2026

प्रदीप/-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।